nwda.gov.in

यमुना में किया मूर्ति विसर्जन तो लगेगा ₹ 50 हजार का जुर्माना

गणेश पूजा व दुर्गा पूजा के लिए डीपीसीसी ने गाइडलाइंस जारी की

- नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के 2019 व 2021 में जारी आदेश में की गई है व्यवस्था
- मिशन के तहत नदियों को प्रदूषित करने पर एक लाख रुपये तक हो सकता है जुर्माना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान यदि यमुना में मूर्ति विसर्जन किया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में डीपीसीसी ने साफ किया है कि नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के 2019 व 2021 में जारी आदेश के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा। वहीं, एनएमसीजी के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन पांच के अनुसार नदियों को प्रदूषित करने पर एक लाख रुपये जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। डीपीसीसी ने मूर्तिकारों और आम लोगों के लिए विसर्जन की गाइडलाइंस जारी की है।

क्यों प्रतिबंधित है यमुना में मूर्ति विसर्जन: मूर्ति विसर्जन की वजह से यमुना के पानी में कई तरह के केमिकल्स जैसे मर्करी, जिंक आक्साइड, क्रोमियम, लेड, कैडमियम आदि घुल जाते हैं। यह जल में रहने वाले जीवों के लिए काफी नुकसानदेह है। इस तरह के पानी की मछलियां जब व्यक्ति खाते हैं तो उनमें कई तरह की बीमारी का खतरा होता है।

सराहनीय कदम » संपादकीय

यमुना में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करता व्यक्ति • जागरण आर्काइव

लोगों व आरडब्ल्यूए के लिए निर्देश

- गणेश पूजा और दुर्गा पूजा आदि में पीओपी की मूर्ति का विसर्जन जोहड़ों, झीलों, तालाबों व नदियों में न करें
- जहां तक संभव हो मूर्ति विसर्जन टब या बाल्टी में करें
- पूजा के सामान जैसे फूल, सजावटी सामान विसर्जन से पहले मूर्ति से हटा लें

मूर्तिकारों के लिए निर्देश

- मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल का इस्तेमाल करें
- मूर्ति को सजाने में प्राकृतिक रंगों व बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल का इस्तेमाल करें
- पीओपी की मूर्तियां तालाबों, नदियों और जोहड़ों, झीलों में विसर्जित नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें न बनाएं

सरकारी विभागों के लिए दिशा-निर्देश

- सिविक एजेंसियां मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थाई तालाबों का इंतजाम करें
- एमसीडी और दिल्ली पुलिस गाड़ियों को चेक करें कि कोई मूर्तियों का विसर्जन करने यमुना तक न आए
- एमसीडी ऐसे मूर्तिकारों पर एक्शन ले जो बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के मूर्तियां बेच रहे हैं
- संबंधित डीएम जुर्माना लगाने के लिए अपने अपने एरिया में टीमें बनाएं
- एनजीओ व समितियों की मदद से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाएं
- डीपीसीसी मूर्ति विसर्जन से पहले और बाद में यमुना के तालाबों की जांच करें ताकि पता चल सके कि पानी प्रदूषित हुआ है या नहीं